

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं०.- 4282 वर्ष 2026**

आफ़ताब आलम @ अल्ताफ़

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : युगल किशोर त्रिपाठीप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा. अधि.

न्यायालय सं०. - 11**माननीय न्यायमूर्ति, राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना मैंने और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध सं०.339 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 70(2), 74, 351(3), 351(4) बीएनएस, व धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर में, उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक निर्दोष है और वह 6.4.2026 से कारावास में निरुद्ध है। वह आगे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि सह-

अभियुक्त, मोहम्मद इस्माइल उर्फ मदीन की भूमिका भी समान है, को इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जो क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10950 वर्ष 2025 दिनांक 15.11.2025 को पारित आदेशों के माध्यम से दी गई है (जमानत आदेश जमानत आवेदन के संलग्नक संख्या 7 के रूप में संलग्न है)। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पाने की अधिकारी है। जमानत पर रिहा होने पर, वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए, ने आवेदक की जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि सह-आरोपी मोहम्मद इस्माइल उर्फ मदीन को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, प्र.सू.रि. की विषय-वस्तु, व अन्य सुसंगत दस्तावेजों, सह-आरोपी मोहम्मद इस्माइल उर्फ मदीन की जमानत का आदेश, समानता के आधार पर और तथ्यों व परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने की अधिकारी है।

6. आवेदक- **आफ़ताब आलम @ अल्ताफ़** - को उक्त मुकदमा अपराध में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगी जिसका उस पर आरोप है, या संदिग्ध है, उस अपराध के लिए जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो सके अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iii. आवेदक को यह शपथ-पत्र देना होगा कि साक्ष्य के लिए नियत तारीख पर जब गवाह अदालत में उपस्थित हों वह स्थगन की मांग नहीं करेगा। आवेदक दौरान विचारण अभियोजन पक्ष का सहयोग करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के पास इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने का अधिकार होगा।
- iv. आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना, अनुपस्थित रहती है, तो विचारण न्यायालय अंतर्गत धारा 229-अ भा.द.सं./अंतर्गत धारा 269 बीएनएस में उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।
- v. यदि, आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत का दुरुपयोग करती है तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्गत धारा 82 द.प्र.सं./ अंतर्गत धारा 84 बीएनएस में उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तब, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध, अंतर्गत धारा 174-अ भा.द.सं./ अंतर्गत धारा 209 बीएनएस में, विधि के प्रावधानों के अनुसार, कार्यवाही शुरू करेगा।
- vi. आवेदक को तय तिथियों पर विचारण न्यायालय के सामने (i) मुकदमे की शुरुवात में, (ii) आरोप तय करते समय (iii) धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज करते समय, स्वयं मौजूद रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय के विचार में, आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसे चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानेगा और उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, यह ज़मानत को निरस्त करने का आधार होगा।

(राजीव सिंह, न्यायमूर्ति)

जून 10, 2026

गौरव/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।